हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा

पत्रिका कोर्ट न्यूज

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

विदिशा. प्रधान सत्र न्यायाधीश अचल कुमार पालीवाल ने थाना करारिया के ग्राम सनौटी निवासी हत्या के आरोपी माधौ उर्फमाधव अहिरवार को भादंवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी जगपाल सिंह तोमर ने की।

अभियोजन के अनुसार 25 मई 2020 को शाम 7 बजे आरोपी माघौ सिंह शराब पिए, हाथ में शराब की बोतल लेकर आया और अश्लील गॉलियॉ देकर बोला कि नबल बाहर निकल। नबल ने बाहर निकलकर आरोपी माधौ सिंह को समझाने का प्रयास किया। आरोपी माधौ ने हाथ में रखी पेट्रोल की बोतल में से पेट्रोल नबलसिंह के ऊपर डालकर जान से मारने की नीयत से माचिस से आग लगा दी, जिससे नबल जलने लगा। बुरी तरह झुलसे नबल को 108 एम्बूलेंस से विदिशा लाया गया, जहां से उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान नबल के बयान लिए गए, जिसमें उसने आरोपी माधौ द्वारा पेट्रोल डालकर जलाना बताया।इसके बाद नबल की मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद प्रकरण में आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 302 का इजाफा किया।प्रकरण में पूरे अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।साक्ष्यों, तथ्यों और जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होकर प्रधान न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई।

आरोपी माधव अहिरवार